न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सांवतगढ

प्रकरण संख्याः– 145/दावा/2019

1. सीताराम आयु बालिग आ0 श्री छीतरलाल जाति दरोगा निवासी सांवतगढ, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी राज0 (मृतक) के कायम मुकाम –
   1/1 प्रेमबाई आयु बालिग बेवा सीताराम जाति दरोगा निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
   1/2 महेन्द्र आयु बालिग आ0 सीताराम जाति दरोगा निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
   1/3 गजेन्द्र आयु बालिग आ0 सीताराम जाति दरोगा निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
   1/4 रामसिंह आयु बालिग आ0 सीताराम जाति दरोगा निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
   1/5 तुलसीकंवर आयु बालिग पुत्री सीताराम जाति दरोगा निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदारा साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

प्रतिवादी

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

वादी अभिभाषक :– श्री रामेश्वर प्रसाद

प्रतिवादी अभिभाषक :– सरकार

निर्णय दिनांक :– 22/10/2021

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि खतोनी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 546 रकबा 7 बीघा वाके ग्राम सांवतगढ पटवार मण्डल सांवतगढ़, भू0अभि0 निरीक्षक क्षेत्र रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 विस्थित है जो आंवटन समिति द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ हेतु वादी के नाम दिनांक 02.09.1984 को आंवटित की थी जिसमें वादी काबिज काश्त है जो वर्तमान् में राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकोर्ड में राजकीय सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज होने से राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली कृषि योग्य सुविधा को प्राप्त नही कर पाता है इसलिए वादी को बहुत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

ी हो रही है जबकि वादी ने उक्त भूमि को आंवटन से वर्षो पहले काफी रकम खर्च नोतोड से आबाद कर कृषि योग्य बनाकर काबिज काश्त होने के उपरान्त ही वादी को ांवटन समिति द्वारा उक्त भूमि आंवटित की गई थी तथा वादी ही उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर हर सालो साल फसल बोता जोता, काटता चला आ रहा है। राज्य सरकार को नियमानुसार शुल्क भी अदा कर चुका है तथा फिर भी इस भूमि की लगान एवं कीमत की राशि बकाया निकलेगी तो वादी जमा करवाने को तैयार है। वादी अत्यन्त गरीब काश्तकार है जो उक्त भूमि पर काश्त कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वादी के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रोत नही है उक्त भूमि पर होने वाली पेदावार से ही वादी व उसके परिवार का पालन पोषण होता आ रहा है। उक्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक के रूप में दर्ज होने से वादी उक्त भूमि का संयोग से कानूनी रूप से उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है तथा सरकार की योजनाओं का लाभ से भी महरूम होना पड रहा है जबकि वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी विवादित भूमि का खातेदार बन चुका है जो राजस्व रिकार्ड में अपना नाम खातेदार के रूप में कानूनी रूप से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी द्वारा कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से निवेदन किया एवं राजस्व शिविरों में भी निवेदन करने के उपरान्त भी प्रतिवादी के द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड की जमाबंदी में खातेदार के रूप में दर्ज नही किया गया है तथा वादी ने श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली को दिनांक 08.08.2019 को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई है एवं पटवारी से मिला तो पटवारी ने बताया कि आंवटन आदेश काफी पुराना हो चुका है। न्यायालय से आदेश लाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी के रूप में अमल दरामद किया जा सकेगा। अगर समय पर उक्त आदेश नही लाया गया तो आपको इस भूमि से भी बेदखल किया जा सकेगा। इसलिए वादी के पास उक्त वाद पेश करने के अलावा कोई अन्य कानूनी विकल्प नही है तथा यही वाद उत्पति का कारण है जो लगातार हो रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व वाद 2 माह का नोटिस पेश करने के उपरान्त ही पेश किया जाना आवश्यक है लेकिन वादी का वाद अति आवश्यक प्रकृति का हो जाने से दो माह का नोटिस दिये जाने के बाद वाद पेश करने का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादी वादी को उक्त भूमि से बेदखल कर देगे जिससे वादी उक्त भूमि से महरूम हो जावेगा तथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ से भी सम्भव नही हो सकेगी। इसलिए 80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश कर बाद्र अर्ज अनुमति ही श्रीमान को वाद पेश किया जा रहा है। वादी की उक्त भूमि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार की होने से उक्त वाद के श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। वादी का वाद निर्धारित न्यायशुल्क पर श्रीमान के समक्ष पेश है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि बहस वादी बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की स्थायी निषेधाज्ञा एवं अधिकार घोषणा की डिक्री बमय खर्चा सादिर फरमाई जावे :– प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द फरमाया जावे कि वह वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम सांवतगढ पटवार मण्डल सांवतगढ के राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम खातेदार के रूप मतें अंकित कर राजस्व रिकोर्ड की जमाबंदी में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

को खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द कराया जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि या उसके किसी हिस्से से वादी को बेदखल नही करे, न ही उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करे तथा उन्हे फसल बोने, जोने एवं काटने से नही रोके प्रतिवादी स्वयं नही करे और न ही अन्यों से करावें तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी के पक्ष में सुलभ हो प्रतिवादी से दिलवाई जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 वादी स्वयं सिद्व करें। अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 5 अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 6 लगायत 8 कानूनी बिन्दु है। वादी के नाम 02.09.1984 को आराजी 546 रकबा 7 बीघा भूमि ग्राम सांवतगढ में आंवटित हुई थी संलग्न रेकार्ड खसरा गिरदावरी पी–14 2076, 2043 से जाहिर है व रसीद जुर्माना जमा है। वादी का भूमि में कब्जा है। आंवटन शर्तो की पालना वादी स्वयं सिद्व करें। जवाब सरकार सादर पेश है।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में मूल प्रार्थना पत्र बाबत आंवटित भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमल करने बाबत दिनांक :– 06.08.2019 व छायाप्रति आंवटन आदेश दिनांक :– 03.01.1984, छायाप्रति दखलनामा दिनांक :– 25.01.1985 जमा रसीद क्रमांक :– 064258 राशि 370, जमा चालान संख्या :– 1423 कीमत भूमि राशि 685, जमा चालान संख्या :– 1424 कीमत भूमि राशि 1158, जमा चालान संख्या :– 1425 पट्टा फीस राशि 25, नकल जमाबंदी संवत 2074–77 खाता संख्या 1 ग्राम सावंतगढ, सत्य प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी संवत 2074–77, खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2076, 2093 प्रस्तुत की है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सावंतगढ में पेश हुई। वादी की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र वकील वादी द्वारा पेश किया जिसे स्वीकार कर वादी के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिए गए। संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। दौराने केम्प पटवारी हल्का सावंतगढ/भू0अ0नि0 रानीपुरा द्वारा विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु मौका जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है। वकील वादीगण उपस्थित है जिन्होने मौका जॉच रिपोर्ट पेश हो जाने से पृथक से कोई साक्ष्य पेश नही करने का कथन कर बहस अन्तिम सुने जाने व प्रकरण निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। हमने वकील वादीगण की बहस सुनी। बहस के दौराने प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया।

प्रकरण में वादीगण द्वारा उनके पिता सीताराम आ0 छीतर दरोगा को दिनांक 03.01.1984 को आंवटित हुई भूमि जो वर्तमान मे राजकीय सिवायचक दर्ज है, को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते है। प्रकरण में पटवारी हल्का सावंतगढ व भू–अभिलेख निरीक्षक रानीपुरा द्वारा विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पटवारी हल्का व भू0अभिलेख निरीक्षक भूमि खसरा संख्या 546 में वर्तमान में कुल रकबा 6 बीघा ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना व वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

खसरा नम्बर 546 में 6 बीघा भूमि पर आंवटी के वारिसान का अतिक्रमी के रूप में जा काश्त होना अंकित है। भूमि का आंवटन खारिज नहीं होना, आबंटन शर्तो की पालना की जाना, भूमि कृषि पृयोजन काम में लेना अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध आंवटन आदेश की छायाप्रति दिनांक 03.01.1984 से खसरा नम्बर 546 में 7 बीघा भूमि ग्राम सावंतगढ पटवार मण्डल सावंतगढ में वादीगण के पिता सीताराम आ0 छीतर जाति दरोगा आंवटित होना प्रमाणित है व उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना पत्रावली पर उपलब्ध मौका जॉच रिपोर्ट पटवारी हल्का/भू0अ0नि0 खसरा गिरदावरी संवत 2075–76 व 2043 से प्रमाणित जाहिर आया है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से विवादित भूमि वादीगण को विधिवत आंवटन होना व लगातार कब्जा काश्त होने व आंवटन शर्तो की पालना करने से स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 546 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम सावंतगढ, पटवार मण्डल सावंतगढ जो कि वादीगण के पिता सीताराम आ0 छीतर जाति दरोगा को दिनांक :– 03.01.1984 को आंवटित हुई है, पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण की ओर यदि भूमि बाबत कोई राजकीय राशि बकाया हो तो तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा जॉच कर जमा करने के उपरान्त राजस्व रिकोर्ड में खातेदार के रूप में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सावंतगढ में सरेआम सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

मूल वाद में डिगरी
डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली मुकाम :– हिण्डोली
पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

(प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सांवतगढ)

1. सीताराम आयु बालिग आ0 श्री छीतरलाल जाति दरोगा निवासी सांवतगढ, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी राज0 (मृतक) के कायम मुकाम –
   1/1 प्रेमबाई आयु बालिग बेवा सीताराम जाति दरोगा निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
   1/2 महेन्द्र आयु बालिग आ0 सीताराम जाति दरोगा निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
   1/3 गजेन्द्र आयु बालिग आ0 सीताराम जाति दरोगा निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
   1/4 रामसिंह आयु बालिग आ0 सीताराम जाति दरोगा निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
   1/5 तुलसीकंवर आयु बालिग पुत्री सीताराम जाति दरोगा निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

प्रतिवादी

मुकदमा नम्बर :– 145/दावा/2019
दावा बाबत :– धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 22.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे ब हाजरी श्री रामेश्वर प्रसाद रेगर एडवोकेट मिन जानिब मुदई व पेरोकार सरकार मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 546 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम सावंतगढ, पटवार मण्डल सावंतगढ जो कि वादीगण के पिता सीताराम आ0 छीतर जाति दरोगा को दिनांक :– 03.01.1984 को आंवटित हुई है, पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण की ओर यदि भूमि बाबत कोई राजकीय राशि बकाया हो तो तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा जॉच कर जमा करने के उपरान्त राजस्व रिकोर्ड में खातेदार के रूप में अंकन किया जावें। नीज... x .... मुबलिग..... x ....बाबत.....x..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....x..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूयाबी तक .....x..... को अदा करें।

ब सिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख..... 22..... माह .....10..... सन,2021 को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायला	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजी दावा	1	00	स्टाम्प वकालत नामा	0	00
स्टाम्प वकालत नामा	1	00	स्टाम्प अरजी दावा		00
स्टाम्प वजह अदा			महनताना वकील .....) पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्ची गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफ़रिक					
मिजान	2	00	मिजान	0	00

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो का नही दर्ज करना चाहिये।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)